न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

अपील पत्र संख्या :– 6/2024

हरिलाल पिता माधु प्रजापत जाति कुम्हार निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कैलाश पिता माधु प्रजापत जाति कुम्हार निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
2. नानीबाई पिता माधु प्रजापत जाति कुम्हार निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
3. विमलाबाई पिता माधु प्रजापत जाति कुम्हार निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
4. पन्नीबाई पत्नी माधु प्रजापत जाति कुम्हार निवासी लीरडी तहसील बेगूँ
5. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री संजय शर्मा
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट1 से4

आदेश दिनांक :– 20.08.2025

आदेश अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 265 ग्राम लीरडी ग्राम पंचायत दुगार द्वारा निर्णित निर्णय दिनांक 16.02.2008

अपील पत्र अपीलान्ट का इस प्रकार से है कि ग्राम लीरडी पटवार हल्का दुगार तहसील बेगूँ के नामान्तरण संख्या 265 निर्णय दिनांक 16.02.2008 पर ग्राम पंचायत दुगार द्वारा मृतक खातेदार माधू पिता छोटू कुम्हार की विरासत के आधार पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नलिखित आधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत है :–

1– यह कि ग्राम लीरडी के मृतक खातेदार माधू पिता छोटू कुम्हार निवासी लीरडी जो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता व 4 के पति थे कि मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरण संख्या 265 हल्का पटवारी ने विरासत के आधार पर बिना किसी पूर्ण जॉच पडताल के प्रस्तावित किया। माधू जी के वारिसान अपीलान्ट हरिलाल एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 पुत्र पुत्री व पत्नी थे। हल्का पटवारी ने हरिलाल अपीलान्ट का नाम हीरालाल के नाम पर प्रस्तावित कर दिया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक एवं सभी दस्तावेज में नाम हीरालाल न होकर हरिलाल है। भू–अभिलेख निरीक्षण ने भी इस पर विधिक टिप्पणी नहीं कर मात्र खाना पूर्ति कर दी व ग्राम पंचायत ने भी बिना पूर्ण जॉच पडताल किये ही अपीलान्ट का नाम हरिलाल के बजाय हीरालाल से ही नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो विधि प्रावधानो के विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है।

2– यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत दुगार ने उक्त नामान्तरण को अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर विरासत के आधार पर नामान्तरण निर्णित किये जाने के पूर्व वारिसान को सुना जाकर या पूर्ण जॉच पडताल की जाकर ही नामान्तरण स्वीकृत करना चाहिए था जो न किये जाने से अपीलान्ट का नाम ही गलत दर्ज हो गया जिससे नामान्तरण निर्णित करने का आदेश एक अवैध आदेश/निर्णय की परिभाषा में आता है एवं निरस्त योग्य है।

3– यह कि अपीलान्ट का नाम गलत प्रस्तावित एवं स्वीकृत हो जाने से अपीलान्ट अपने कृषक होने के लाभो से वचित हो रहा है एवं ग्राम पंचायत ने विधिक एवं प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को सुने बिना एक तथाकथित अवैध निष्प्रभावी एवं शुन्य प्रस्तावित एन्ट्री के आधार पर प्राकृति न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर उक्त नामान्तरण निर्णय करने में भूल की है जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

यह कि दिनांक 30.05.2024 को अपीलान्ट उक्त भूमि के आधार पर अपने आप को कृषक मान प्रधानमंत्री कृषक साथी योजना का पंजीकरण कराने गया तो नाम में अन्तर आने से योजना का लाभ आवेदन करने से वचित रहा गया जिससे जानकारी आने पर हल्का पटवारी जी से उक्त नामान्तरण की प्रति हेतु आवेदन किया एवं प्रति दिनांक 02.06.2024 को प्राप्त हुई जिससे हल्का पटवार द्वारा नाम गलत प्रस्तावित करने एवं अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा गलत नाम के आधार पर ही नामान्तरण निर्णित करने में भूल की है जिससे उक्त नामान्तरण निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का सही नाम हरिलाल के आधार पर नामान्तरण नये सिरे से किये जाने की प्रार्थना के साथ यह अपील नामान्तरण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

5— यह कि नामान्तरण अपील सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से अपील नामान्तरण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

6— यह कि नामान्तरण संख्या 265 ग्राम लीरडी पटवार हल्का दुगार का निप्रय दिनांक 16.2.2008 को होकर इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 30.05.2024 को नामान्तरण की नकल प्राप्त करने से हुई है एवं नकल प्रापत होते ही नामान्तरण अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है साथ ही उक्त नामान्तरण निर्णय अवैध एवं निष्प्रभावी निर्णय की परिभाषा में आने से अवैक्ध नामान्तरण को निरस्त किये जाने की कोई अवधि नहीं होना न्यायिक दृष्टांतो में वर्णित है। फिर भी कानूनी पैचदगी से बचने के लिए दिनांक 17.02.2008 से दिनांक 02.06.2024 तक की अवधि को कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अन्य कारण वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

7— यह कि अपील नामान्तरण अपीलार्थी की ओर से पूर्ण न्याय शुल्क पर मय सम्मन प्रोसेस व नक्लो के प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि मोजा लीरडी पटवार हल्का दुगार तहसील बेगूँ के नामान्तरण संख्या 265 पर माधू पिता छोटू कुम्हार की मृत्यु हो जाने से दिये गये अवैध एवं विधि विपरीत निर्णय को निरस्त फरमा, सभी सही विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नामा नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलान्ट की न्यायालय मे प्रस्तुत होने के पश्चात बाद जॉच अपील पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपील पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 तक की ओर से अधिवक्ता श्री संजय शर्मा ने अपना अधिकार प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेन्ट्स को कोई आपत्ति नही होने पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस को ध्यानूपर्वक सुना गया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार ही करते हुए अपीलान्ट के सही नाम का विरासत से नामान्तरण खोले जाने हेतु निवेदन न्यायालय के समक्ष किया है।

हमने अपील पत्र पर बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 265 का अवलोन किया, यह नामान्तरण खातेदार माधू पिता छोटू कुम्हार के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम पर खोला जाना दर्ज अंकित है। इस विरासत के नामान्तरण पर माधू के परिवार का सजरा अंकित किया जिसमें माधु के पुत्र हीरालाल कैलाश, पुत्री नानीबाई विमलाबाई व पत्नी पन्नीबाई के नाम का सजरा दर्शाया जाकर उक्त नामान्तरण खोला गया है जो कि अपीलान्ट हरीलाल के बजाय हीरालाल के नाम का खोला जाकर ग्राम पंचायत सरपंच दुगार द्वारा दिनांक 16.02.2008 को स्वीकृत किया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अपीलान्ट का नाम हीरालाल न होकर हरिलाल होने के प्रमाण स्वरूप अपीलान्ट ने अपने आधार पर की छायाप्रति ,आयकर विभाग के कार्ड की छायाप्रति,व हरिलाल प्रजापत के परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें मृतक माधु के पुत्र का नाम हीरलाल न होकर हरिलाल प्रजापत होना अंकित है, लेकिन नामान्तरण संख्या 265 जो कि मृतक खातेदार माधु पुत्र छोटु कुम्हार की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तरण खोला गया है, जिसमें माधु पुत्र छोटू कुम्हार के परिवार कार्ड में सही सही नाम क्या अंकित है,साथ ही सभी वारिसान के सही सही नामो के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज एवं इसकी पूर्ण जॉच करते हुए ही पटवार हल्का को पूर्ण जॉच करते हुए ही नामान्तरण भरा जाकर निर्णित करवाना चाहिए था।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में हरिलाल नाम अंकित है, लेकिन नामान्तरण संख्या 265 में किस आधार पर नाम हरिलाल के वजाय हीरालाल अंकित किया गया है, इसकी जॉच कराते हुए विरासत का सही सही नामान्तरण खोला जाना हम न्यायसंगत समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरण संख्या 265 ग्राम लीरडी ग्राम पंचायत दुगार द्वारा निर्णित दिनांक 16.02.2008 का नामान्तरण खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बेगूँ को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार माधु पिता छोटू कुम्हार निवासी ग्राम लीरडी के वारिसान के सही सही नाम की जॉच करते हुए पुनः विरासत का नामान्तरण खोलते हुए स्वीकृत करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 20.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ
जिला चितौडगढ(राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/2025/605 दिनांक :- 23-8-2025

अपील पत्र संख्या 6/2024 व अनवान हरिलाल बनाम कैलाश वगै अपील नामान्तरण संख्या 265 ग्राम लीरडी ग्राम पंचायत दुगार निर्णित दिनांक 16.02.2008 में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ
जिला चितौडगढ(राज.)